

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा, हरिश्चंकर मोटर मार्ग से चोपड़ा नखोलियाणा के मोटर मार्ग हेतु 0.63 है वन पंचायत भूमि, सिविल भूमि 2.38 है एवं मक हिसाबान हेतु 0.260 है कुल 3.01 है भूमि का लॉन्गिन्वि को हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०पी० दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियमानुसार है ।

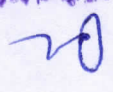
1- इको-क्लास श्रेणी..... V

2- हरियाली का घनत्व..... 2

3- एन०पी०वी० की दर प्रति है० 6,57,000.00 रु

4- आवंटित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 3.01 है०

5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि..... 19,77,570.00 रु

प्रमाणित किया जाता है


प्रमाणित किया जाता है

 (प्रमाणित)
 प्रमाणित किया जाता है